



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची
वन भवन, लोरेण्टा, राँची
E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

ज्ञापांक :- ०१/यो०ब०-३५/२०१८-५९६

दिनांक :- २३/५/१८

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन, झारखण्ड, राँची को विमागीय website पर upload करने हेतु प्रेषित।

विश्वसनाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

इ.प्रखण्ड नं.८०५
प्रधानमंत्री सुख्य संशोधन बिभाग

संकल्प

विवर —

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सान्तीय मुख्य मंत्री द्वारा घोषित "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु अधिसूचित मार्ग-निर्देशिका में संशोधन के संबंध में।

"मुख्यमंत्री जन वन योजना" झारखण्ड राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण का प्रोत्साहन देकर यित्तानों की आथ में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने एवं राज्य के अधिसूचित बनों पर दबाव भी कम किये जाने के लिए बनाई गई योजना है। पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या-5965, दिनांक -27.11.2015 द्वारा "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका निर्गत है।

2. "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन में आ रही कर्तिपथ बाधाओं को दृष्टिपथ में रखते हुए उनके निराकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत मार्ग-निर्देशिका में संशोधन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

3. एतद द्वारा "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन हेतु संशोधित संलग्न मार्ग-निर्देशिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संकल्प निर्गत की तिथि के उपरांत योजना का कार्यान्वयन संलग्न संशोधित मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप ही किया जाएगा।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

दिशमान्त्रजन

(इन्दु रेखर चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

विभाग,

झारखण्ड, रौची।

झापौक -4/यो० बजट-७९/2015 2005

दिनांक— 14.05.2018

प्रतिलिपि :— सानुलग्नक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, रौची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सूचनार्थ प्रेषित। संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को परिचारित करते हुए 100 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की रूपा की जरूर।

अपर मुख्य सचिव

झापौक -4/यो० बजट-७९/2015 2005

दिनांक— 14.05.2018

प्रतिलिपि:— सानुलग्नक महालेखाकार, झारखण्ड, रौची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के दिखेष कार्यपदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभाग/सभी को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

अपर मुख्य तथिव
१५८७०/४
दूसरा अंक
नाम संख्या २२१३
गोपनीय राजभूमि कालाम गोपनीय राजभूमि
आवश्यक कारबाह हेतु प्रवित !

ज्ञारखण्ड सरकार
दून, पर्वतीय एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

"मुख्यमंत्री जन वन योजना"

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

(संशोधित मार्ग निर्देशिका)

आरखण्ड राज्य में गर्यावरण संतुलन बनाये रखने लिए उन अच्छादित क्षेत्र की बढ़ाया जाना आवश्यक है। राज्य में यन अच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य के अधिसूचित दर्दों पर दबाव भी कम होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य में "मुख्यमंत्री जन वन योजना" लागू की जा रही है:

इस योजना के अन्तर्गत राजस्व अभियानों के ऊनुसार उचित स्वामित्य रखने वाले व्यक्ति को उनके हारा स्वेच्छा से विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रज्ञातियों का अपनी निजी भूमि पर (झाँक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेढ़ पर-रेखिक बनावट) वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किए जाएंगे; प्रोत्साहन-स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख-रखाव पर हुए व्यय के 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

2. योजना के उद्देश्य

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- 2.1 प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर गर्यावरण संतुलन कायन रखना।
- 2.2 वृक्षारोपण के माध्यम से भू-जल संरक्षण करना।
- 2.3 निजी क्षेत्र में दनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित दर्दों पर दबाव कम करना।
- 2.4 किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय में बढ़ावरी करना।
- 2.5 राज्य में जन सहयोग से खालीलादन को बढ़ावा देना।

3. योजना के घटक

- 3.1 इस योजना के अन्तर्गत ब्लॉक वृक्षारोपण (Block Plantation) एवं खेत की मेढ़ पर वृक्षारोपण (रेखिक) किया जा सकेगा।
- 3.2. कार्य विवरणी—योजना का कार्यान्वयन तीन शर्षों में सम्पन्न होगा, जिसमें वर्षायार सामुक्त द्वारा वृक्षारोपण संबंधी निम्न कार्य अपने खर्चे पर संपादित किये जायेगे :—
- (क) प्रथम वर्ष — गढ़डा खुदाई, सुरक्षा धेरान बनाना, पौधा रोपण, दो कोड़नी निकौनी, उदरक/जैविक खाद/कौटनाशक देना, पटवन एवं सुरक्षा अदि।
 - (ख) द्वितीय वर्ष— एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य एवं सुरक्षा कार्य।
 - (ग) तृतीय वर्ष— एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य, धेरान मरम्मत एवं सुरक्षा कार्य।
- 3.3 दो पौधों के बीच दूरी—निजी भूमि पर काष्ठ प्रजाति के रोपण हेतु 30cm x 30cm x 30cm ताईज के गढ़डे खोदे जायेंगे तथा दो गढ़डों के बीच 3m x 3m तथा मेढ़ पर 2m x 2m की दूरी रखी जायेगी। फलदार पौधे के लिए 60cm x 60cm x 60cm साईज के गढ़डे खोदे जायेंगे एवं 5m x 5m रखी जायेगी। एक एकड़ में काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे, फलदार प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया जा रहेंगा। नेढ़ पर काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे लगाने पर इसे एक एकड़ के समतुल्य माना जायेगा। मेढ़ पर फलदार पौधे नहीं लगाये जायेंगे।

- 3.4 वृक्षारोपण हेतु निर्धारित प्रजातियाँ—इस कानून के अन्वयत जानेण अपनी भूमि पर काठ प्रजातियाँ दलत शोदान, स्तनवान, बहार घटनाका, वसानक घटनाका, एवं सिद्ध रुप फलदार प्रजातियाँ दशा कलमो आहे. फलहाल, अनन्द अदृष्ट यस एवं लौदे का वनरोपण कर सकांगे; कालान्तर में यादि इन प्रजातियाँ च अनिलेत अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण किया जाता है तो यादन नुस्खा देने सख्त अस्त्वच यांचो के अनुसारी स अन्य दर्दनियाँ के पांधो या रोपण किया जा सकेगा।
- 3.5 वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता विभागीय पौधशाला एवं उसमें उपलब्ध पौधों की पूर्ण सूची विभागीय वेलसाईट forest.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है; लाभुकों को विभागीय पौधशाला ने उपलब्ध पौधों की आपूर्ति दी ज्ञ सकांगी अथवा लाभुक नौदों की आपूर्ति अन्य श्रोतों से भी कर सकते हैं। फलदार पौधे एवं कलमी फलदार पौधे मारते सरकार के संस्थान HARP PALANDU, राज्य सरकार की पौधशालाओं से सरकार/संस्थान द्वारा निर्धारित विक्रय दर पर भी क्रय किये जा सकते हैं।
- 3.6 वृक्षारोपण किये नए पौधों की सुरक्षा का दायित्व लाभुक का होगा।
- 3.7 इस योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक लाभुक के लिए 0.5 एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी।

4. लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि

- 4.1. इस योजना हेतु स्वीकृत वनरोपण दर के अनुलेप लागत राशि का 75 प्रतिशत अंश लाभुक को प्रोत्साहन राशि के रूप में देय होगा।
- 4.2. विभाग द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण दर के अनुसार प्रति एकड़ फलदार एवं काठ प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु निम्न व्यय होगा :-

क्र०	वृक्षारोपण	वर्षदार प्रस्तावित व्यय (राशि रु० में)			कुल
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1	फलदार जड़पत्ती	36546.54	3457.56	5896.46	45900.86
2	काठ प्रजाति	29659.14	6386.79	8904.99	44950.92

- 4.3. उपरोक्त व्यय के आंकडे के आधार पर

(क) अगर लाभुक द्वारा स्वयं बौधे की व्यवस्था को जाती है तो लाभुक को निम्नवत् राशि देय होगी :-

योजना वर्ष	प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (रु० में)		किस्तों की संख्या			
	काठ प्रजाति	फलदार प्रजाति	काठ प्रजाति		फलदार प्रजाति	
			प्रथम किस्त की राशि	द्वितीय किस्त की राशि	प्रथम किस्त की राशि	द्वितीय किस्त की राशि
प्रथम वर्ष	44.00	151.00	36.00	8.00	118.00	33.00
द्वितीय वर्ष	10.00	14.00	10.00			14.00
तृतीय वर्ष	13.00	24.00	13.00			24.00
कुल राशि	67.00	189.00				

(ख) अन्य पत्रों को ऊरुर्ह वन विभाग द्वारा की जानी जाएगी। तो इस योजना ने लाभुक को विनियोग वेतन राशि हेतु होनी -

योजना वर्ष	प्रति पौधा देव प्रोत्साहन राशि (₹० में)	
	कार्य प्रजाति	फलदार प्रजाति
प्रथम वर्ष	31.00	111.00
द्वितीय वर्ष	10.00	14.00
तृतीय वर्ष	13.00	24.00
कुल राशि :-	54.00	149.00

- 4.4. विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा योजना हेतु प्रतिवर्ष वनरेप्पन दर आ निर्धारण किया जायेगा एवं तदनुसार लाभुक को देव प्रोत्साहन राशि का निर्धारण होगा।

5. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया

5.1 विभाग द्वारा समाचार पत्रों में केन्द्रीयकृत विज्ञापन प्रकाशित कराकर इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु लागानियों से विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। लाभुक को आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजात सलग्न करना आवश्यक होगा -

- (i) भूमि स्वामित्व एवं रक्जा के संबंध में अचंलाधिकारी का प्रतिवेदन (अनुलग्नक-2)
 - (ii) अनुबंध पत्र (अनुलग्नक-3)
 - (iii) लाभुक के बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति जिसने प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जानी है।
- 5.2 इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र (अनुलग्नक सं०-१) में अपने जिले के वन ग्रमण्डल पदाधिकारी (अनुलग्नक-4 में उल्लेखित) के कार्यालय में समाचार पत्रों में इस योजना हेतु विज्ञापन प्रकाशन के दृष्टकर्ता नियोजित सभ्यसामा व ज़िलेदार कर सकता है। विज्ञापन प्रति उर्ध्व "तत्त्वावधार साह में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
- 5.3. एक से अधिक व्यक्ति मिलकर भी इस योजना के अन्तर्गत मैड के किनारे (रेखिक वृक्षारोपण) कार्य कर सकते हैं।
- 5.4. आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के अंतर्गत वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा विभागीय MIS application पर अपलोड किया जायगा। अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन अस्वीकार करते हुए सूचना आवेदक को दी जाएगी।

6. चयन की प्रक्रिया :

- 6.1 संबंधित वन ग्रमण्डल पदाधिकारी केंद्रिका 5.1 में उल्लेखित कागजातों की जाँच करेंगे एवं लाभुकों का चयन कर सूची बनायेंगे।
- 6.2. पिलोपित।
- 6.3. विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदकों की उपस्थित में लॉटरी निकाल कर लाभुकों का चयन किया जायेगा।
- 6.4. घयनित लाभुकों की सूची विभागीय वैबस्टर पर अपलोड की जाएगी तथा संबंधित वन ग्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा लाभुक को सूचित किया जाएगा।

- ६.५ संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रमंडलवार चयनित लाभुको की सूची संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, ग्रसार वानिकी/अंत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, विश्व खास कार्यक्रम को वृक्षारोपण हेतु योद्धों की स्थापना करने हेतु प्रेसेल भी जाएगी।
- ६.६ विभाग द्वारा इस योजना का लाभुको के पूँछ विवरणी जैसे वृक्षारोपण वर्ष के जिधे कर्कडेनेट तथा आटोफ भी शान्ति हांड लिनाथर संधारित भी जाएगी।

७. लाभुक को की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया

- ७.१ लाभुकों द्वारा निजी भूमि पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के लिये प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अनुलग्नक स०-५ में वर्णित पदाधिकारी के कार्यालय में माह जून में संशोधित प्रपत्र ५(क) में दावा किया जाएगा।
- ७.२ वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभुक के प्रथम वर्ष में दावे का सत्यापन कर किए गए कार्यों संथा स्थल की सफाई, गढ़वा खोदना, देशन करना, वृक्षारोपण हेतु पौधे की व्यवस्था करने के आधार पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति माड जुलाई में ही जायेगी एवं सत्यापन के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुक के ढैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित किया जायेगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु माह अप्रैल की उत्तरजीविता के अधार पर लाभुक द्वारा अप्रैल नाह में संशोधित प्रपत्र ५(ख) में दावा संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरजीविता सत्यापन कर उत्तरजीविता के अनुरूप द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रत्साहन राशि हेतु भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा प्रोत्साहन राशि सीधे ही लाभुक के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।
- ७.३ विलोपित।
- ७.४ प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुकों के बैंक खाते के भाव्यम से किया जायेगा। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन के उपरान्त भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान कर राशि सीधे संबंधित आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

८. वन विभाग के पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मियों के कर्तव्य एवं दायित्व :-

- ८.१ वन विभाग के संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों का दायित्व इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना जानुमो का ध्यान करना, मैंग जाने पर पौधे उपलब्ध कराना, आवश्यक तकनीकी उपकरणों उत्पादन करना, प्रोत्साहन राशि के दावे के नियमनन वरदात, नियमानुसार देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना तथा योजना की सफलता हेतु उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने तक सीमित होगा।
- ८.२ प्रत्येक वर्ष इस योजना के अन्तर्गत लाभुक व्यक्तियों की विवरणी (अनुलग्नक-६) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इस विवरणी को योजना की समाप्ति पर (अर्थात तीसरे वर्ष) उपलब्ध पौधों के आधार पर update किया जाएगा।
९. योजना में लगाये गये वृक्षों का स्वाभित्व - "जन-वन योजना" के तहत उगाये गये वृक्षों का पूर्ण स्वाभित्व संबंधित लाभुक में निहित होगा। वृक्षों के पातन के समय संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर पातन की अनुमति एवं परिवहन अनुमता पत्र निर्दित किया जायेगा। इस कार्य हेतु विभाग इस योजना में किये गये वृक्षारोपण का डाटाबेस संधारित करेंगा।


१५/१२/२०१५

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
आरखण्ड, राँची

सेवा मे।

भाष्टक से
परिणाम

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक धानिकी प्रभागल / प्रिश्व खाद्य कार्यक्रम

विषय : मुख्यमंत्री जन-जन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण ग्रोस्साहन योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु
आधेन

मैं निजी भूमि पर वृक्षारोपण ग्रोस्साहन योजना अंतर्गत वृक्षारोपण करना चाहता हूँ/चाहती हूँ। मेरी
भूमि के संबंध में तथा अन्य जानकारी निम्नानुसार है :-

(क) आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी

1. आवेदक का नाम -
2. आधार संख्या -
3. पिता / माता / पति का नाम -
4. आवेदक का मोबाइल / दूरभाष नं० एस०टी०डी० कोड सहित -
5. पत्र व्यवहार का पता -
6. जाति - सामान्य / अनु०जाति / अनु०जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग

(ख) आवेदक की निजी भूमि जिसमें वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, का विवरण

7. गाम -
8. राजस्य धाना एवं धाना नं० -
9. अंचल
10. जिला -
11. खाता नं० -
12. खेसरा नं० -
13. एकड़ा (एकड़ में) -

(ग) वृक्षारोपण हेतु जानकारी

14. रोपण का प्रकार - ब्लॉक वृक्षारोपण / खेत की मेड पर वृक्षारोपण
15. ब्लॉक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हेक्टेकर्न) / खेत की मेड की लम्बाई (मीटर में)
16. रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजातिवार संख्या -

क्र०	काष्ठ प्रजाति	भास्या	फलदार प्रजाति	संख्या
1.				
2.				
मुल				

(घ) अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों की सूची

17. भूमि स्वामित्व एवं कबज्जा के संबंध में अद्यतनिकारी का प्रतिवेदन
18. आधार कार्ड को छायाप्रति (यदि सम्बद्ध हो)
19. अनुबंध पत्र
20. बैंक पत्रसंक की छायाप्रति
21. रद्द या हुई चेक

(ङ) बैंक खाता विवरण

22. बैंक का नाम :—
23. बैंक का पता :—
24. खाता संख्या :—
25. IFS code :—

स्थान :—

दिनांक :—

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

तथा पूरा पता

अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन का प्रारूप

सेक्टर नं.

दन प्रमंडल पदाधिकारी,

विषय :

प्रश्न : आपका पत्रांक— दिनांक—

महाराष्ट्र,

आपके प्रासादिक प्रतिवेदन से संदर्भ में निम्न भूमि विवरण पर निम्नदत्त व्यक्ति के स्वामित्व में कब्जा है। अतः उन्हें इस जन-यन योजना के अन्तर्गत पौथे लगाने पर योजना के अनुरूप निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकता है—

(1) भूमि का विवरण

जिला—

प्रखण्ड—

पट्टन—

खाता—

फॉट—

(2) स्वामित्व एवं कब्जा रखनेवाले व्यक्ति का नाम एवं पता जिसे भुगतान करना होगा।

(3) बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code —

अंचलाधिकारी

मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अनुबंध पत्र

ने इतन् घोषणा करता / करती हैं कि इस आदेन ने ही यही सूचनाएं सत्त्व हैं लें आधिकारिक डान गर हैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करेंगा/ करेंगी। एवं वन विभाग के सभी निर्देशों का अनुपालन करेंगा/ करेंगी। यदि उपर में दी गयी सभी जानकारी/ कालान्तर में उच्च सूचना गलत रिप्ट होती है, तो हस्तके लिए मैं जिम्मेवार होऊगा/ होऊँगी और मैं मानता/ मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध ऐधानिक/ दडाल्नक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवेदन को रद किया जा सकेगा। इसमें नुक्के कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस योजना की सभी शर्तों का मालन करेंगा/ करेंगी। मैं इस योजना के अन्तर्गत रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगा/ करेंगी तथा परिपक्वता से पहले एवं वन विभाग की अनुमति के बिना वृक्षों को नहीं काढ़ूंगा/ काढ़ूँगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

प्राप्ति रसीद

विवाह / श्रीमती

पिता/माता/पति

वन प्रमण्डल का नाम वन क्षेत्र का नाम प्रखण्ड का नाम
 जिला का नाम पिन कोड - ! 'मुख्यमंत्री जन वन योजना' (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन-पत्र ग्राह्य किया गया, जिसका क्रमांक है।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पदनाम

"मुख्यमंत्री जन वन योजना"

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण ग्रात्माहन की योजना)

निजी भूमि पर वृक्षारोपण ग्रात्माहन की योजना के कार्यान्वयन हेतु जिलावार वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की सूची

क्र० सं	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम
1	ii	iii
1	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची
2	खूटी	खूटी वन प्रमण्डल, खूटी
3	सिमड़गा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमड़गा
4	गुमला	
5	चाईबासा (प० सिंहभूम)	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा
6	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर
7	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार
8	गढ़वा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा
9	मेदिनीनगर	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल
10	हजारीबाग	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग
11	रामगढ़	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़
12	चतरा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल वन प्रमण्डल चतरा उत्तरी, चतरा क्षेत्री वन प्रमण्डल
13	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा
14	देवधर	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवधर
15	गोद्धा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोद्धा वन प्रमण्डल, गोद्धा
16	दुमका	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका
17	आमताजा	
18	सरायकेला-खरसोंवा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल
19	पाकुड़	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़
20	साहेबगंज	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज
21	बोकारो	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो
22	धनबाद	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद
23	लोहरदगा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा
24	गिरीडौह	गिरीडौह पूर्वी वन प्रमण्डल गिरीडौह पश्चिमी वन प्रमण्डल

नुच्छणांत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना)

आवेदक द्वारा जीवित पौधों के प्रतिशत संबंधित नवयां जारी घोषणा-पत्र

सेवा मं.

दन प्रनाली पदाधिकारी

सामाजिक वानिली प्रमाणल / विश्व खात्र काउन्क्रम

प्रनाली किए जाता है कि मैं श्री / श्रीमती पिता / माता / पति
 ग्राम प्रखण्ड ज़िला का निवासी हूँ। मेरे द्वारा
 अपने स्वाभित्व की भूमि, प्लॉट संख्या खाता नं० / खेसरा नं० (ग्राम
) क्षेत्रफल एकड़ में वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थल स्पष्टाई
 गड़डे खोदे गये हैं।

.....फीट द्वेष्य धेरान किया गया है तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था कर ली
 गयी है। मैं माह में वृक्षारोपण तथा नाह में कोड़नी, निकौनी एवं सुरक्षा का कार्य
 करांगा / करंगी / करेंगी।

मैं शपथ देता हूँ कि की गयी सभी सूचनाएँ सही हैं। उक्त के आधार पर मुझे योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि रु० की पात्रता बनती है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि मेरे बैंक खात संख्या बैंक का नाम एवं
 पता बैंक का I.F.S.C. कोड में भुगतान करने की कृपा करें। इस
 खात से संबंधित पास्सुक की छायाप्रति सलझन है।

आवेदन का हस्ताक्षर
(पूरा नाम)

तिथि

सत्यापन

निरीक्षण दिनांक को (गड़डा की संख्या धेरान कार्य लम्बाई
 में की गयी है। जिसके अनुसार प्रोत्साहन राशि रु० बनती है। प्रोत्साहन राशि रु०
 आवेदक के बैंक खाता क्रमांक बैंक का नाम एवं पता
 बैंक का I.F.S.C.कोड में भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता पदाधिकारी का
नाम एवं पदनाम
(दिनांक सहित)

मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना)
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सत्यापन प्रसारण पत्र

सेवा गौ.

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / दिव्य खाद्य कार्यक्रम
प्रमाणित किया जाता है कि प्रादेशिक प्रमण्डल संस्था का नाम में श्री / श्रीमती
..... विभाग / पिता / माता / पति ग्राम प्रखण्ड
..... जिला का निवासी हूँ। मेरे स्वाभित्र की भूमि खाता नं०/खेतरा नं० ..
..... (ग्राम) बेत्रफल एकड़ में
... (पौधों की संख्या) पौधों का म्लॉक / मेड पर वृक्षारोपण वर्ष में मेरे संस्था
द्वारा कराया गया है। अप्रैल को गिनती के अनुसार वृक्षारोपण स्थाल पर
..(पौधों की संख्या) जीवित है।

मैं शपथ देता हूँ संस्था द्वारा प्रमाणित कर्या जाता है कि दी गयी सभी सूचनाएँ सही हैं। उक्त के आधार पर¹
मुझे योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि रु० की पात्रता बनती है।

आवेदन का हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
दिनांक
.....

सत्यापन

निरीक्षण दिनांक को (पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं।
पौधों की औसतन ऊँधाई फीट है। जीवित पौधों का प्रतिशत है।

प्रोत्साहन राशि रु० आवेदक संस्था के बैंक खाता क्रमांक
बैंक का नाम एवं पता बैंक का I.F.S.C. कोड में भुगतान करने की
अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर
सत्यापनकर्ता पदाधिकारी का
नाम एवं पदनाम
(दिनांक सहित)

झारखण्ड शरकार

बन, पर्यावरण एवं जलवाया परिवर्तन विभाग

योजना का नाम—मुद्रणमंत्री जन का योजना निजी भूमि पर बुखारेप्पा प्रोटसाइट की योजना।

बन प्रमण्डल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमण्डल का नाम :-

वित्तीय वर्ष—

जिला का नाम :-

क्रम	प्रमण्डल का नाम	परिवर्तन का नाम	विभाग (क्रमांक)		विभाग (क्रमांक)						
			I	II							
1											
2											
3											
4											
5											